

इसे वेबसाईट [www.govtpress.mp.gov.in](http://www.govtpress.mp.gov.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर 2025—भाद्र 27, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2025

क्रमांक एफ ए 3-34/2017/1/पांच(26) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-34/2017/1/V(81) दिनांक 27 जुलाई, 2017 का निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “9%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2025

क्र. एफ ए-3-34-2017-1-पांच.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-34-2017-1-पांच (26), दिनांक 18 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 18<sup>th</sup> September 2025

No. F A 3-34/2017/1/V(26) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A-3-34/2017/1/V(67) dated 30<sup>th</sup> June 2017, namely,

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry under column (4), the entry “9%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 22<sup>nd</sup> day of September, 2025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.